पत्रांक– 7ए/नीति0नि0–07–06/2011 का०– 3804

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस0के0 चौधरी,
मुख्य सचिव,
झारखण्ड।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त एवं
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

रांची, दिनांक 8/7/2011

विषय : **राज्य कर्मियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में।**

महाशय,

राज्य कर्मियों की प्रोन्नति पर विचार करने के क्रम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रोन्नति की वर्तमान व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं में जटिलता के कारण विभिन्न सेवाओं/संवर्गों/पद समूहों की नियमित प्रोन्नति में लम्बी अवधि तक प्रक्रियात्मक विलम्ब हो रही है।

2. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी सरकारी सेवकों को नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के निमित्त निम्नांकित प्रक्रियाओं एवं सिद्धान्तों को लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

<u>चारित्री का अभिलेखन</u>

(क) सरकारी सेवकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में विभिन्न सेवा/संवर्ग की बड़ी संख्या में प्रोन्नति के मामले लम्बित रह जाते हैं।

कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या–7444 दिनांक 30.04.1976 की कंडिका–46 में यह निदेश है कि यदि कोई पदाधिकारी ससमय चारित्री नहीं अभिलेखित करते हैं, तो उनके विरूद्ध उचित विभागीय कार्रवाई की जायेगी, परन्तु उक्त अनुदेश का अनुपालन पूर्णरूपेण नहीं हो पा रहा है, फलतः प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने में अतिशय कठिनाई हो रही है।

अतः राज्य सरकार के सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने अधीनस्थ कर्मियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

(ख) नियंत्री पदाधिकारी के अन्यत्र पदस्थापन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु इत्यादि कारणों के फलस्वरूप उनके अधीनस्थ सरकारी कर्मियों की नियमित चारित्री अभिलेखित नहीं की जाती है, फलतः प्रोन्नति पर विचार करते समय चारित्री की अनुपलब्धता बाधक हो जाती है।

इस समस्या को दृष्टिपथ में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि किसी वर्ष की चारित्री अनुपलब्ध होने एवं उसके कारण प्रोन्नति लम्बित रहने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मी के वर्त्तमान नियंत्रण पदाधिकारी से विशेष चारित्री लिखने के लिए आदेश देकर उपलब्ध करा ली जाय जो विशेष चारित्री अनुपलब्ध चारित्री वर्ष के लिए मान्य होगी।

आरोप का प्रभाव

(ग) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में उसकी गहन समीक्षा नहीं किए जाने के कारण प्रोन्नति के मामले लम्बित रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–6227, दिनांक 20.11.2008 के द्वारा भारत संघ बनाम के0वी0 जानकीरमण एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रोन्नति पर विचार करते समय निम्न आरोपों के कुप्रभाव पड़ने का प्रावधान संसूचित है :–

(i) निलम्बन

(ii) विभागीय कार्यवाही, जिसमें आरोप–पत्र निर्गत हो,

(iii) न्यायिक कार्रवाई, जिसमें अपराधिक कार्यवाही फौजदारी न्यायालय में लम्बित हो।

इसके साथ ही उक्त मामलों में प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा उनके निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने की प्रक्रिया का भी अनुसरण किया जाना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1)(क) के तहत् नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ बनाम के0वी0 जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबंद लिफाफा का मामला माना जायेगा, अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1)(क) के तहत् निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर पड़ेगा।

निगरानी स्वच्छता

(घ) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या–4609 दिनांक 01.11.1985 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निगरानी स्वच्छता प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

निगरानी स्वच्छता प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया एवं उसकी समय–सीमा की वैधता के निर्धारण के फलस्वरूप प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने में भी अतिशय कठिनाई होती है।

अतः इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के लिए विभागीय कार्यवाही, न्यायिक मामले एवं निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी तथा समर्पित आरोप–पत्र विधिवत संधारित करें। विभाग में उपलब्ध इन सूचनाओं के आधार पर सरकारी सेवकों के संबंध में प्रशासी विभाग निगरानी स्वच्छता निर्धारित करें। निगरानी विभाग के द्वारा प्रत्येक छः माह के अन्तराल (जनवरी एवं जुलाई में) पर सम्बन्धित विभाग को वैसे सरकारी सेवकों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हो एवं आरोप पत्र समर्पित हो। सम्बन्धित विभाग का यह दायित्व होगा कि इसके आधार पर विभाग में सूचना संधारित की जाय।

वरीयता सूची का संधारण एवं सेवा नियमावली का गठन

(ङ०) विभिन्न सेवा/संवर्ग के सरकारी सेवकों की वरीयता सूची का निर्धारण नहीं किए जाने के फलस्वरूप उच्चतर पदों पर प्रोन्नति पर विचार करने में कठिनाई होती है।

सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग की अंतिम वरीयता सूची का निर्धारण सरकारी परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में अतिशीघ्र कर लें।

(च) वित्त विभाग, झारखण्ड के परिपत्र संख्या–1303, दिनांक 18.04.2009 की कंडिका–9 के द्वारा यह अनुदेश संसूचित है कि सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के सन्दर्भ में केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप सेवा शर्त्तों से सम्बन्धित नियमावली का गठन करेंगे।

सभी विभाग तदनुसार अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग की सेवा नियमावली का गठन अतिशीघ्र करें, ताकि निर्धारित पद सोपान के पदों पर प्रोन्नति की त्वरित कार्रवाई की जा सके।

<u>कालावधि एवं आरक्षण रोस्टर क्लियरेन्स</u>

(छ) निम्न पद से उच्चतर पदों पर कालावधि का निर्धारण नहीं होने एवं ससमय रोस्टर क्लियरेन्स नहीं होने के कारण प्रोन्नति के मामले लम्बित रहते हैं।

कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस विषय पर सभी प्रशासी विभागों का यह दायित्व होगा कि अपने विभाग से सम्बन्धित रोस्टर क्लीयरेन्स के मामले विहित प्रपत्र एवं पंजी में संधारित करते हुए वांछित प्रस्ताव ससमय कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायेंगे, ताकि इस मामले का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

<u>झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन</u>

(ज) कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–5161, दिनांक 25.09.2008 के द्वारा राज्य सेवा/संवर्ग के वैसे पद, जिनपर प्रोन्नति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा अपेक्षित हो, के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन आयोग के स्तर पर किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्बन्धित सभी विभाग प्रोन्नति का प्रस्ताव आयोग को समर्पित करेंगे। आयोग के स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा मानी जायेगी।

3. उपर्युक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करते हुए अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति की कार्रवाई दो माह के अन्दर सुनिश्चित की जाए।

4. एतद् विषयक पूर्व निर्गत परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,

8.7.2011

(एस0के0 चौधरी)
मुख्य सचिव।